बिहार सरकार
सहकारिता विभाग
।। संकल्प ।।

चूँकि बिहार राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री शशिभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, हाजीपुर, वैशाली (सम्प्रति निलंबित) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के द्वारा गठित धावा दल द्वारा दिनांक–23.11.2017 को परिवादी श्री अमीत अभिषेक से रू॰ 80,000/– (अस्सी हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये थे एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–104/2017 दिनांक–24.11.2017 धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र॰नि॰अधि॰–1988 दर्ज किया गया है। यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3 (1)(i),(ii) एवं (iii) के प्रतिकूल है।

अतएव यह निर्णय लिया गया है कि श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, हाजीपुर, वैशाली सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध गठित आरोप–पत्र (प्रपत्र–'क') में विनिर्दिष्ट आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के अन्तर्गत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित की जाय।

2. उक्त विभागीय कार्यवाही में विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री सुरेश चौधरी, अपर सचिव–अपर निबंधक (मु॰), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाता है।

3. श्री कुमार से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में लिखित बयान विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी के समक्ष इस संकल्प के प्राप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर प्रस्तुत करें।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि संकल्प एवं आरोप–पत्र (प्रपत्र–'क') की एक–एक प्रति (साक्ष्य सहित) विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी/श्री सुरेश चौधरी, अपर सचिव–अपर निबंधक (मु॰), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी एवं श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि॰, हाजीपुर, वैशाली सम्प्रति निलंबित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह॰/–
(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....
08/नि॰को॰(रा॰)विभागीय–720/2017

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना–सह–संचालन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह॰/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री सुरेश चौधरी, अपर सचिव–अपर निबंधक (मु०), सहकारिता विभाग, बिहार, पटना–सह–प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक की प्रति के साथ श्री शशिभूषण कुमार, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दी वैशाली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि०, हाजीपुर, वैशाली सम्प्रति निलंबित मुख्यालय–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ का कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/2–संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, पटना प्रमंडल, पटना को संकल्प की एक अतिरिक्त प्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि आरोपित पदाधिकारी को संकल्प का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :...../ पटना, दिनांक :.....

प्रतिलिपि :– पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, निगरानी विभाग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–3400/अप०शा०, दिनांक–29.11.2017 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त।

ह०/–
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

ज्ञापांक :1143/ पटना, दिनांक :05.04.2018

प्रतिलिपि :– अवर सचिव–सह–लोक सूचना पदाधिकारी, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, प्रभारी कम्प्यूटर कोषांग, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

05.4.18
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

CP
5-4-18

।। आरोप–पत्र ।।

प्रपत्र–"क"

1. पदाधिकारी का नाम : श्री शशि भूषण कुमार
2. पदनाम : तत्कालीन प्रबंध निदेशक, दि वैशाली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक लि0, वैशाली (हाजीपुर)
3. वेतनमान/ग्रेड पे : 15600–39100 + ग्रेड पे– 6600/–
4. समूह : 'क'
5. जन्म तिथि : 23.02.1969
6. सेवानिवृत्ति की तिथि : 28.02.2029
7. आरोप : थाना काण्ड संख्या–104/2017, दिनांक–24.11.2017 धारा–7/13(2)–सह- पठित धारा–13 (1) (डी) भ्र.नि. अधिनियम 1988

क्र० सं०	आरोप का संक्षिप्त विवरण	आरोप का विवरण
1	2	3
1०	नियम विरूद्ध कार्य करना	परिवादी श्री अमित अभिषेक, पिता–प्रभाकर उपाध्याय, 402 शश्वत अपार्टमेंट, आरा गार्डेन रोड, जगदेव पथ, पटना, ओसियन स्टार कनसलटेंट प्रा0लि0 कंपनी के प्रबंध निदेशक के शिकायत पर कार्रवाई करते हुए आपको रिश्वत के रूप में 80,000/– (अस्सी हजार) लेते हुए रंगे हाथ निगरानी धावा दल के द्वारा दिनांक 23.11.2017 को गिरफ्तार किया गया। आपका यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 17(5) (1) एवं 17 (6) के प्रतिकूल है।
2०	रिश्वत की माँग	परिवादी अनुबंध पर कर्मी को बैंक में उपलब्ध कराते हैं। दिनांक 13.11.2017 के हुए एक एकरारनामा के अनुसार 13 सहायकों एवं 02 अनुसेवकों की सेवा उपलब्ध कराने का निदेश आपके (शशिभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, वैशाली जिला सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक, हाजीपुर, जिला–वैशाली) द्वारा दिया गया। इस हेतु अंतिम प्रपत्र निर्गत हेतु आपके द्वारा 01 लाख 15 हजार रिश्वत माँगे जाने की शिकायत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना से की। परिवाद की सत्यापन हेतु श्री हकीमउद्दीन, सिपाही, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा परिवादी (श्री अमित अभिषेक) के साथ दिनांक 23.11.17 को 10.30 पूर्वाह्न में वैशाली डिस्ट्रक्ट

		सेन्ट्रल को–आपरेटिव बैंक, हाजीपुर, वैशाली कार्यालय पहुंचे। जहाँ आपसे (श्री शशिभूषण कुमार) मुलाकात कर बातचीत करने लगे । बातचीत के क्रम में परिवादी (श्री अमित अभिषेक) आपसे (श्री शशिभूषण कुमार) काम के बारे में बोले । इस पर आपने (श्री शशिभूषण कुमार) कहा कि आपको (श्री अमित अभिषेक) पहले ही बोल चुके है 01 लाख 15 हजार (एक लाख पंद्रह हजार) रूपया लगेगा तब अंतिम प्रपत्र देंगे । परिवादी (श्री अमित अभिषेक) द्वारा आपसे (श्री शशिभूषण कुमार) कहा गया कि 80000/– (अस्सी हजार) लेकर काम कर दे तो आप (श्री शशिभूषण कुमार) इस पर काम करने के लिए तैयार हो गए। परिवादी (श्री अमित अभिषेक) ने रूपया बैंक से निकाल कर आने की बोल कर चल दिए। पुनः परिवादी (श्री अमित अभिषेक) द्वारा आपको दिनांक 23.11.2017 के शाम 06.00 (छः) बजे रिश्वत की राशि प्राप्त करते हुए धावा दल के द्वारा रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। आपका (श्री शशिभूषण कुमार) यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 3(1) (i),(ii),(iii) के प्रतिकूल है, जिसके लिए आप दोषी हैं ।
3.	सरकारी कार्य में लापरवाही बरतना एवं कर्त्तव्य निर्वहन में कमी	परिवादी (श्री अमित अभिषेक) के आवेदन के आलोक में आपको उनके आवेदन को जॉचोपरान्त सत्यापन आदि कर नियमानुसार कार्रवाई करना चाहिए था, जबकि आपके द्वारा नियमानुसार कार्रवाई न कर उनसे रिश्वत की माँग की गई। आपका यह कृत्य कर्त्तव्यहीनता को दर्शाता है ।

CP
5-4-18

(राजेन्द्र राम),
सरकार के उप सचिव (निगरानी),
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना।

जाँच–पत्र

1.	क्या आरोप–पत्र बिहार सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप–पत्र का गठन विनियमावली, 2011 के अनुसार और उसमें विहित किये गये प्रपत्र में एवं सही ढ़ंग से तैयार किया गया है तथा प्रत्येक आरोप सुस्पष्ट है ?	–हाँ
2.	क्या बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17(4) की अपेक्षाओं के अनुसार आरोपित पदाधिकारी/कर्मचारी को आरोप–पत्र की एक प्रति, लांछनों के अभिकथन तथा दस्तावेजों एवं साक्षियों की सूची आदि उपलब्ध करा दी गयी है ?	–हाँ
3.	क्या उक्त नियमावली के नियम–17(4) के अनुसार बचाव का लिखित अभिकथन प्राप्त कर लिया गया है ?	–नहीं
4.	क्या बचाव के लिखित अभिकथन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार के स्तर पर की गयी है और समीक्षोपरान्त निष्कर्ष निकाला गया है ?	–उपरोक्त के अनुसार।
5.	क्या उक्त नियमावली के नियम 17(6) के अनुसार वांछित कागजात मूल रूप में संलग्न किये गये हैं ?	–हाँ
6.	क्या विभागीय कार्यवाही चलाने एवं संचालन पदाधिकारी की नियुक्ति संबंधी प्रासंगिक नियम का संदर्भ आदेश/अधिसूचना/संकल्प में किया गया है ?	–हाँ
7.	क्या आदेश/अधिसूचना/संकल्प पर हस्ताक्षरकर्त्ता पदाधिकारी ने हस्ताक्षर के पूर्व उपर्युक्त अपेक्षाओं की जाँच करा ली है और वे संतुष्ट हैं ?	–हाँ

05.4.18

(राजेन्द्र राम)
सरकार के उप सचिव (निगरानी)।

पत्रांक-एस0आर0-104/2017 निग0-3400/अप0शा0

बिहार सरकार
निगरानी विभाग
(अन्वेषण ब्यूरो)

अत्यावश्यक

प्रेषक,

पुलिस अधीक्षक,
निगरानी अन्वेषण ब्यूरो,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सहकारिता विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 29-11-17

प्रसंगः- निगरानी थाना कांड सं0-104/2017, दिनांक-24.11.2017, धारा-7/13(2)- सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988.

विषयः- श्री शशीभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, दि वैशाली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, गांधी चौक हास्पीटल रोड, हाजीपुर, वैशाली के विरूद्ध कांड दर्ज किये जाने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कांड की प्राथमिकी की छाया प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना के गठित धावादल के द्वारा दिनांक-23.11.17 को परिवादी- श्री अमीत अभिषेक से श्री शशीभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, दि वैशाली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, गांधी चौक हास्पीटल रोड, हाजीपुर, वैशाली को 80,000/-(अस्सी हजार रूपये) रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर माननीय विशेष न्यायाधीश, निगरानी, मुजफ्फरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से आदेशानुसार उन्हें न्यायिक हिरासत में शहीद खुदिराम बोस केन्द्रीय कारा, मुजफ्फरपुर में भेजा गया है।

श्री शशीभूषण कुमार, प्रबंध निदेशक, दि वैशाली डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक लिमिटेड, प्रधान कार्यालय, गांधी चौक हास्पीटल रोड, हाजीपुर, वैशाली के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0-104/2017 दिनांक-24.11.2017, धारा-7/13(2)- सह-पठित धारा-13(1)(डी) भ्र0नि0अधि0, 1988 दर्ज किया गया है।

यह कांड सम्प्रति अनुसंधानांतर्गत है। अनुसंधानोपरान्त फलाफल से अवगत करा दिया जायगा।

प्राथमिकी अभियुक्त श्री शशीभूषण कुमार के विरूद्ध बिहार सेवा संहिता के नियम 99 के तहत अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई करते हुए कृत कार्रवाई से अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0:- यथोपरि।

विश्वासभाजन,

पुलिस अधीक्षक।